अनुबंध

09 मार्च 2009 के ए पी(डीआईआर सिरीज़)परिपत्र सं.57 का अनुबंध

अनुबंध I	अ - प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों को लाइसेंस तथा अन्य अनुमोदन के लिए दिशा-निर्देश आ - अतिरिक्त शाखाओं को लाइसेंस की मंजूरी देने के लिए दिशा-निर्देश इ - प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I/श्रेणी-II/पूर्ण मुद्रा परिवर्तकों द्वारा एजेंटों/फ्रेंचाइजीज की नियुक्ति के लिए दिशा-निर्देश ई - मौजूदा पूर्ण मुद्रा परिवर्तकों के लाइसेंसों के नवीनीकरण के लिए दिशा-निर्देश उ - परिचालनगत दिशा-निर्देश ऊ - धन-शोधन निवारण संबंधी दिशा-निर्देश (एएमएल गाइड लाइंस) ए - लाइसेंस रद्द करना /निरस्त करना
	आवश्यक परिवर्तनों सहित संशोधित अनुदेश, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- II (प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II) पर इनके विपरीत अनुदेश जारी होने तक तक लागू रहेंगे । इसी प्रकार श्रेणी-I तथा श्रेणी-II दोनों के प्राधिकृत व्यापारियों पर उनके मुद्रा परिवर्तन के कार्यकलापों के लिए धन-शोधन निवारण संबंधी दिशा-निर्देशों (एएमएल गाइड लाइंस) सहित अन्य उपयुक्त प्रावधान लागू हेंगे ।
अनुबंध II	विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 की धारा 10(1) के तहत पूर्ण मुद्रा परिवर्तकों को लाइसेंस के लिए आवेदनपत्र
अनुबंध III	पूर्ण मुद्रा परिवर्तकों /गैर-बैंक श्रेणी-II के प्राधिकृत व्यापारियों के निदेशकों के लिए "उपयुक्त तथा योग्य व्यक्ति " मानदंड
अनुबंध IV	फॉर्म आरएमसी-एफ
अनुबंध V	एफएल एम 1
अनुबंध VI	एफएलएम 2
अनुबंध VII	एफएलएम 3
अनुबंध VIII	एफएलएम 4
अनुबंध I X	एफएलएम 5
अनुबंध X	एफएलएम 6
अनुबंध XI	एफएलएम 7
अनुबंध XII	एफएलएम 8
अनुबंध XIII	आरएलएम 3
अनुबंध XIV	10,000 अमरीकी डॉलर अथवा इससे ऊपर की खरीद के लेनदेनों का विवरण
अनुबंध XV	निर्यात आगम के विदेशी करेंसी नोटों/यात्री चेकों के नकदीकरण से भारत मे खोले गये विदेशी मुद्रा खातों का संकलन(जोड़) दर्शानेवाला विवरण ।
अनुबंध XVI	वित्तीय वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाली गई राशि का विवरण

अनुबंध-I

09 मार्च 2009 के ए पी(डीआईआर सिरीज़)परिपत्र सं.57 का अनुबंध

(अ) प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों को लाइसेंस जारी करने तथा अन्य अनुमोदनों के लिए दिशा-निर्देश

1.प्रस्तावना

प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक,विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 की धारा 10 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत संस्थाएं हैं। प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक या तो पूर्ण मुद्रा परिवर्तक होते हैं अथवा प्रतिबंधित मुद्रा परिवर्तक(आरएमसी)* । प्रतिस्पर्धा के जरिये कुशल ग्राहक सेवा सुनिश्चित करते हुए निवासियों तथा पर्यटकों को विदेशी मुद्रा विनिमय की सुविधाओं की सुलभता के दायरे को और अधिक बढ़ाने के लिए प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी.कैट- I)तथा प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II (ए.डी.कैट-II)के अतिरिक्त, पूर्ण मुद्रा परिवर्तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए विदेशी मुद्रा का कारोबार करने के लिए अधिकृत हैं। पूर्ण मुद्रा परिवर्तक, भारत आये निवासियों और अनिवासियों से कतिपय अनुमोदित प्रयोजनों के लिए विदेशी मुद्रा की खरीद तथा बिक्री के लिए अधिकृत हैं।प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी.कैट- I)तथा प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II (ए.डी.कैट-II) और पूर्ण मुद्रा परिवर्तक, विदेशी मुद्रा की खरीद का कारोबार करने के लिए फ्रेंचाइजीज नियुक्त कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति भारतीय रिजर्व बैंक से विदेशी मुद्रा परिवर्तन का वैध लाइसेंस लिए बिना विदेशी मुद्रा परिवर्तन का कारोबार नहीं करेगा अथवा ऐसा विज्ञापन नहीं देगा कि वह विदेशी मुद्रा का कारोबार करता है। बिना वैध लाइसेंस विदेशी मुद्रा परिवर्तन का कारोबार करते हुए पाये जाने पर वह उपर्युक्त अधिनियम के तहत दंड का भागी होगा ।

नोट: भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अब प्रतिबंधित मुद्रा परिवर्तक(आरएमसी)योजना समाप्त कर दी गई है । तथापि, पाकिस्तान और बाँगला देश की सीमा से 10 किलोमीटर के भीतर कार्य कर रहे कतिपय प्रतिबंधित मुद्रा परिवर्तकों (आरएमसी)को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा फिलहाल कारोबार करने की अनुमति प्रदान की गयी है ।

(2) पूर्ण मुद्रा परिवर्तकों को लाइसेंस जारी करने के लिए दिशा-निर्देश

पूर्ण मुद्रा परिवर्तन लाइसेंस जारी करने तथा नवीनीकरण,शाखाओं को लाइसेंस देने,एजेंटों/फ्रेंचाइजीज की नियुक्ति आदि पर प्राधिकृत व्यक्तियों के लिए धन-शोधन निवारण संबंधी दिशा-निर्देश(एएमएल गाइड लाइंस)नीचे दिये गये हैं। ये दिशा-निर्देश संकेत मात्र हैं किंतु आवेदनपत्रों पर विचार करते समय भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्र-विस्तार,अनुकूल स्थान आदि जैसे अन्य संबंधित घटकों को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले सकता है ।

(I) प्रवेश-मानदंड

(i) आवेदक ,कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत होना चाहिए।

(ii) पूर्ण मुद्रा परिवर्तक होने के लिए अपेक्षित न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधियां निम्नवत् हैं:

श्रेणी	न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधियां
एकल शाखा पूर्ण मुद्रा परिवर्तक	25 लाख रुपये
बहु-शाखा पूर्ण मुद्रा परिवर्तक	50 लाख रुपये

नोट: आवेदकों की,बैंकों को छोड़कर, निवल स्वाधिकृत निधियों की गणना निम्नवत् की जाये:-

(i) <u>स्वाधिकृत निधियां</u> : (प्रदत्त ईक्विटी पूंजी +मुक्त आरक्षित राशियां +लाभ-हानि खाते के जमा की इति शेष)से घटायें (हानि का संचित शेष,आस्थगित राजस्व व्यय तथा अन्य अगोचर आस्तियां)।

(ii) <u>निवल स्वाधिकृत निधियां</u> : स्वाधिकृत निधियों से घटायें उसकी सहायक कंपनियों के शेयरों में निवेश की राशि,उसी समूह की कंपनियों में , सभी (अन्य) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा इसके साथ ही स्वाधिकृत निधियों के 10 प्रतिशत से अधिक उसकी सहायक कंपनियों के डिबेंचर्स ,बाँडों,लिये गये बकाया ऋण तथा उधार का बही मूल्य।

(II) <u>प्रलेखन</u>

भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय जिसके क्षेत्राधिकार में आवेदक का कार्यालय आता हो,के विदेशी मुद्रा विभाग में अनुबंध-II में दिये गये फॉर्म में निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आवदेनपत्र दिया जाये ।

(क) कंपनी को अपना कारोबार शुरू करने तथा निगमन के प्रमाणपत्रों में से प्रत्येक की एक एक प्रति ।

(ख) मुद्रा परिवर्तन का व्यवसाय करने से संबंधित संस्था के ज्ञापन तथा बहिर्नियम अथवा कंपनी लॉ बोर्ड को दाखिल किया गया इस आशय का उपयुक्त संशोधन ।

(ग) खातों के लेखा परीक्षण की अद्यतन प्रति जिसके साथ सनदी लेखाकार का एक प्रमाणपत्र जिसमें आवेदन पत्र की तारीख को निवल स्वाधिकृत निधियां प्रमाणित हों । लेखा परीक्षण की गई तुलन-पत्र तथा जहाँ लागू हो, कंपनी के तीन वर्ष के लाभ-हानि खाते की प्रति ।

(घ) एक मुहरबंद लिफाफें में आवेदक के बैंकर की गोपनीय रिपोर्ट ।

(ङ) इस आशय की एक घोषणा कि आवेदक कंपनी और उसके निदेशकों के विरुध्द प्रवर्तन निदेशालय/ राजस्व आसूचना निदेशालय अथवा अन्य किसी कानून प्रवर्तन प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई प्रारंभ की नहीं गई /लंबित नहीं है और आवेदक कंपनी और उसके निदेशकों के विरुध्द कोई आपराधिक मामला दायर नही है/लंबित नहीं है ।

(च) इस आशय की एक घोषणा कि कारोबार शुरू करने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमोदन मिलते ही, समय-समय पर यथा संशोधित , 02 दिसंबर 2005 के ए.पी.(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.18/ए.पी.(एफएल सिरीज) परिपत्र सं.01, 26 जून 2006 के ए.पी.(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.39/ए.पी.(एफएल सिरीज) परिपत्र सं.02और 17 अक्तूबर 2007 के ए.पी.(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.14/ए.पी.(एफएल सिरीज) परिपत्र सं.01 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसरण में "अपने ग्राहक को जानिए " ओर " धन-शोधन निवारण पर समुचित नीतिगत ढांचा लागू कर दिया जायेगा।

(छ) वित्तीय क्षेत्र में सक्रिय सहयोगी /संबध्द संस्थाओं जैसे कि गैर- बैंकं कंपनियों के ब्योरे ।

(ज) मुद्रा परिवर्तन का व्यवसाय करने के लिए से संबंधित बोर्ड के प्रस्ताव की प्रमाणित प्रति ।

(iii) <u>अनुमोदन का आधार</u>

(i) चूँकि अनेक पूर्ण मुद्रा परिवर्तक पहले से ही इस कार्य में लगे हुए हैं ,अतः नये लाइसेंस चुनिंदा आधार पर केवल उनको ही जारी किये जायेंगे जो कि लाइसेंस के लिए सभी अपेक्षाएं पूरी करते हों,जिनसे कार्य-क्षेत्र के दायरे में वृध्दि हो,जिन्हें स्थान विशेष लाभदायक हो जैसे कि सीमा-क्षेत्र अथवा पर्यटन केंद्र आदि ।

(ii) # <u>पूर्ण मुद्रा परिवर्तन आवेदकों के लिए "उपयुक्त और योग्य व्यक्ति " मानदंड</u>

यदि किसी आवेदक कंपनी/उसके निदेशकों के विरुध्द किसी प्रवर्तन निदेशालय/राजस्व आसूचना निदेशालय अथवा अन्य किसी कानून प्रवर्तन प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई प्रारंभ की गई हो /लंबित हो तो उस कंपनी को "उपयुक्त और योग्य व्यक्ति " नहीं माना जायेगा और पूर्ण मुद्रा परिवर्तक के लाइसेंसों के लिए उसके आवेदनपत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

(# गैर- बैंकं प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-IIपर भी लागू है।)

(iv) <u>उच्चाधिकार प्राप्त समिति से मंजूरी</u>

पूर्ण मुद्रा परिवर्तक के लाइसेंस जारी करने के लिए प्राप्त अनुरोधों पर,इस प्रयोजन हेतु गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति की मंजूरी से,भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा , विचार किया जायेगा।

(v) इस संबंध में मंजूरी देने अथवा अन्यथा का भारतीय रिजर्व बैंक का निर्णय अंतिम और बाध्यकर होगा ।

(vi) भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी मिल जाने पर, कारोबार शुरू करने से पहले ,भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में शाप्स एंड इस्टैब्लिशमेंट ऐक्ट के तहत पंजीकरण की कॉपी अथवा कोई अन्य दस्तावेजी सबूत जैसे कि किराये की रसीद, पट्टे की कॉपी आदि जमा कर देना चाहिए ।

(vii) पूर्ण मुद्रा परिवर्तक को ,लाइसेंस जारी करने की तारीख से छः माह के भीतर अपना कारोबार शुरू कर लेना चाहिए और भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को इसकी सूचना दे देना चाहिए ।

(viii) नये पूर्ण मुद्रा परिवर्तक को अपने कार्यकलाप नीचे पैराग्राफ (ङ) तथा (च) में विनिर्दिष्ट अनुदेशों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अन्य अनुदेशों के अनुसार करना चाहिये ।

[नोटः किसी भी शहरी सहकारी बैंक (यूसीबीएस) को पूर्ण मुद्रा परिवर्तक के रूप में कार्य करने हेतु लाइसेसं जारी नहीं किया जायेगा]

(आ) <u>अतिरिक्त शाखाओं को प्राधिकार/अधिकार देने के लिए के दिशा-निर्देश</u>

(1) केवल उस परिस्थिति को छोड़कर जब कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पूर्व अनुमति दी गई हो ,कोई पूर्ण मुद्रा परिवर्तक अपने स्थायी स्थान के अलावा अन्य किसी दूसरी जगह पर मुद्रा परिवर्तन का कारोबार नहीं करेगा। अपने स्थायी स्थान के अलावा अन्य किसी दूसरी जगह पर मुद्रा परिवर्तन का कारोबार करने का इच्छुक कोई पूर्ण मुद्रा परिवर्तक, भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के विदेशी मुद्रा विभाग में , जिसके क्षेत्राधिकार में उसका पंजीकृत

कार्यालय आता हो, लिखित रूप में आवेदनपत्र दे और भारतीय रिजर्व बैंक कतिपय शर्तों पर जिन्हें कि वह उपयुक्त समझे, अतिरिक्त स्थान पर कारोबार करने की मंजूरी दे सकता है ।

2. अतिरिक्त स्थान (कार्य-स्थल) के आवेदनपत्र के साथ निम्नलिखित कागजात संलग्न किये जायें:-

(क) खातों के लेखा परीक्षण की अद्यतन प्रति जिसके साथ आवेदन पत्र की तारीख को निवल स्वाधिकृत निधियों के संबंध में सांविधिक लेखाकार के एक प्रमाणपत्र की प्रति ।

(ख) मुहरबंद लिफाफे में आवेदक के बैंकर की गोपनीय रिपोर्ट ।

(ग) इस आशय की एक घोषणा कि आवेदक कंपनी और उसके निदेशकों के विरुध्द प्रवर्तन निदेशालय/ राजस्व आसूचना निदेशालय अथवा अन्य किसी कानून प्रवर्तन प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई प्रारंभ की नहीं गई /लंबित नहीं है और आवेदक कंपनी और उसके निदेशकों के विरुध्द कोई आपराधिक मामला दायर नही है/लंबित नहीं है । किसी पूर्ण मुद्रा परिवर्तक को ,जिसके विरुध्द कोई प्रवर्तन निदेशालय/राजस्व आसूचना निदेशालय का कोई बड़ा मामला चल रहा है ,कोई नया लाइसेंस जारी नहीं किया जायेगा। प्रवर्तन निदेशालय/राजस्व आसूचना निदेशालय का कोई छोटा-मोटा मामला लंबित होने पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हर मामले में अलग अलग निर्णय लिया जायेगा। प्रवर्तन निदेशालय/राजस्व आसूचना निदेशालय में लंबित मामलों को गंभीर और साधारण मामले के रूप में वर्गीकृत करने का भारतीय रिजर्व बैंक का निर्णय अंतिम और बाध्यकर होगा ।जहाँ प्रवर्तन निदेशालय/राजस्व आसूचना निदेशालय के मामलों में अधिनिर्णय हो चुका है और दंड लागू कर दिया गया है ,ऐसे मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक अपराध के स्वरूप के आधार पर अपनी राय कायम करेगा बशर्ते कि उस व्यक्ति के विरुध्द प्रवर्तन निदेशालय/राजस्व आसूचना निदेशालय में कोई नया वाद न शुरू कर दिया गया हो ।

(घ) "अपने ग्राहक को जानिए " और " धन-शोधन निवारण संबंधी दिशा-निर्देशों " के संबंध में कंपनी की नीतिगत ढांचे की एक प्रति ।

(ङ) आंतरिक तथा बाह्य लेखा परीक्षा सहित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट ।

3. महानगरों और नॉन मेट्रोज में संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों की शाखाओं के योग्य विभाजन करने के उद्देश्य से, महानगरों में अतिरिक्त कार्यालयों के लिए आवेदन पत्रों पर तब विचार किया जाएगा जब आवेदक के कुल कार्यालयों (प्रस्तावित कार्यालयों सहित) का अनुपात 1:1 (अर्थात् आवेदक का महानगर में प्रत्येक कार्यालय के लिए एक नॉन-मेट्रोपोलिटन कार्यालय है) है । इस प्रयोजन के लिए मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई और कोलकत्ता के अतिरिक्त और तीन शहरों अर्थात् बंगलुरु, हैदराबाद और अहमदाबाद को महानगरीय केंद्रों के रुप में माना गया है । शाखाओं के लिए सुदूर क्षेत्रों में पर्यटन आकर्षण के केंद्रों के आवेदन पत्रों के लिए वरीयता दी जाएगी ।

4. किसी अतिरिक्त शाखा में व्यवसाय प्रारंभ करने पहले भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दुकान और संस्था अधिनियम के तहत पंजीकरण की एक प्रति अथवा अन्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य जैसे किराया रसीद , पट्टा करार की प्रति, आदि प्रस्तुत करना चाहिए ।

5. संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों ने लाइसेंस जारी करने की तारीख से छः महीनों की अवधि के भीतर अपनी अतिरिक्त शाखा का परिचालन प्रारंभ करना चाहिए और भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को सूचित करना चाहिए ।

(ग) **एजेंटों की नियुक्ति/प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।/प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।। द्वारा फ्रेंचाइजी और संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों की नियुक्ति के लिए दिशा-निर्देश**

1. इस योजना के तहत, भारतीय रिज़र्व बैंक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - ।, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - ।। और संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों को अपने विवेक के अनुसार सीमित मुद्रा परिवर्तन कारोबार अर्थात् विदेशी मुद्रा नोटों, सिक्कों का परिवर्तन अथवा यात्री चेकों का रुपयों में परिवर्तन करने के प्रयोजन के लिए एजेंसी लेने / फ्रेंचाइजी करार करने के लिए अनुमति देता है ।

2. **फ्रेंचाइजी**

किसी भी संस्था जिसके पास कारोबार करने के लिए स्थान है और रु. 10 लाख का न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि है उसे फ्रेंचाइजी दी जा सकती है । फ्रेंचाइजी केवल सीमित मुद्रा परिवर्तन कारोबार कर सकती है ।

3. **एजेंसी / फ्रेंचाइजी करार**

फ्रेंचाइजी नियोक्ता फ्रेंचाइजी के साथ पारस्परिक करार के जरिये करार की अवधि और कमीशन अथवा शुल्क निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है ।

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I/प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II और संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों द्वारा किये जानेवाले एजेंसी / फ्रेंचाइजी करार में निम्नलिखित प्रमुख विशेषताओं का समावेश होना चाहिए :

(क) फ्रेन्चाइजी द्वारा विनिमय दरों को प्रदर्शित करना । विदेशी मुद्रा का रुपये में परिवर्तन के लिए विनिमय दर प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।/प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।। और संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों द्वारा अपनी शाखा पर रुपये में दैनिक विनिमय दर वही अथवा रुपये में दैनिक विनिमय दर के निकट हो ।

(ख) फ्रेन्चाइजी द्वारा खरीदी गयी विदेशी मुद्रा, खरीद की तारीख से 7 कार्य दिवसों के भीतर फ्रेन्चाइजर को अथवा किसी अन्य प्राधिकृत व्यक्ति को, जैसा करार किया गया हो, सुपुर्द करनी चाहिए ।

(ग) फ्रेन्चाइजी द्वारा लेनदेनों का उचित रिकॉर्ड रखना ।

(घ) फ्रेन्चाइजी नियोक्ता द्वारा फ्रेन्चाइजी के कार्य स्थल का वर्ष में कम से कम एक बार प्रत्यक्ष निरीक्षण ।

3. आवेदन की प्रक्रिया

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।/ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।।/ संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों को इस योजना के तहत एजेंटों / फ्रेन्चाइजीज की नियुक्ति के लिए फॉर्म आरएमसी -एफ (अनुबंध - IV)में भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को आवेदन करना होगा । आवेदन के साथ घोषणा पत्र लगाना होगा कि फ्रेंचाइजी का चयन करते समय पर्याप्त सावधानी बरती गई है और ऐसी संस्थाओं ने मुद्रा परिवर्तन से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रचलित विनियमावली के प्रावधानों का पालन करने का वचन दिया गया है । भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पहले फ्रेंचाइजी करार के लिए अनुमोदन दिया जाएगा । उसके बाद जब कोई नई एजेंसी / फ्रेंचाइजी करार किया जाएगा तो उसकी रिपोर्ट बाद में उसी प्रकार का पूर्वोक्त घोषणा के साथ फॉर्म आरएमसी-एफ (अनुबंध IV) में रिज़र्व बैंक को भेजना होगा ।

4. एजेंट / फ्रेंचाइजी संबंधी सावधानी

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।/प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।।/ संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों ने एजेंटों/फ्रेंचाइजियों के संबंध में सावधानी बरतते समय निम्नलिखित न्यूनतम जांच करनी चाहिए

- एजेंट /फ्रेंचाइजी की मौजूदा कारोबार गतिविधियां / इस क्षेत्र में उनकी स्थिति ।
- एजेंट /फ्रेंचाइजी का न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि ।
- एजेंट /फ्रेंचाइजी के पक्ष में दुकान और संस्था / अन्य लागू म्युनिसिपल प्रमाणन ।
- एजेंट /फ्रेंचाइजी के वास्तविक स्थान का सत्यापन, जहां सीमित मुद्रा परिवर्तन कारोबार किया जाएगा ।
- स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों से एजेंट /फ्रेंचाइजी का आचरण संबंधी प्रमाणपत्र ।
- नियम लागू करनेवाली एजेंसी, यदि कोई हो, द्वारा एजेंट /फ्रेंचाइजी अथवा उसके निदेशकों/भागीदारों के विरुध्द चलाये गये / लंबित पिछले आपराधिक मामले,यदि कोई हो, संबंधी घोषणापत्र ।
- एजेंट /फ्रेंचाइजी और उसके निदेशकों/भागीदारों के पैन कार्ड ।
- एजेंट /फ्रेंचाइजी के निदेशकों/भागीदारों और मुख्य व्यक्तियों के फोटोग्राफ्स ।

उपर्युक्त जांच नियमित आधार पर वर्ष में कम से कम एक बार करनी चाहिए । प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।/ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।।/संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों ने एजेंट /फ्रेंचाइजी के कार्य स्थल पर व्यक्तिगत रुप से दौरा करने के अतिरिक्त उनके कार्य स्थल की पुष्टि करनेवाली यथोचित दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त करनी चाहिए । प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।/ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।।/संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों ने एजेंट /फ्रेंचाइजी के निवल स्वाधिकृत निधि अर्थात् निरंतर आधार पर रुपये 10 लाख बनाये रखने की पुष्टि करनेवाला सनदी लेखाकार का प्रमाणपत्र भी प्राप्त करना चाहिए ।

टिप्पणी :- प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।/ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -।।/ संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों को सूचित किया जाता है कि ऐसे एजेंटों /फ्रेंचाइजियों के साथ किये गये करार खंडित करें जिन्होंने इस परिपत्र के जारी करने की तारीख से तीन महीनों के भीतर संशोधित मापदण्ड का पालन नहीं किया है ।

5. **केंद्रों का चयन**

फ्रेंचाइजी नियोक्ता योजना प्रचालन के लिए केंद्रों का चयन करने हेतु स्वतंत्र है ।

6 **प्रशिक्षण**

फ्रेंचाइजी नियोक्ताओं से अपेक्षित है कि वे योजना के परिचालन और अभिलेखों के रखरखाव के संबंध में एजेंटों / फ्रेंचाइजी को प्रशिक्षण दें ।

7. **रिपोर्टिंग, लेखा-परीक्षा और निरीक्षण**

फ्रेंचाइजी नियोक्ता अर्थात् प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।/ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।।/संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों से अपेक्षित है कि फ्रेंचाइजी द्वारा फ्रेंचाइजी नियोक्ता को नियमित आधार पर (कम से कम मासिक आधार पर) लेनदेनों के रिपोर्टिंग के लिए पर्याप्त व्यवस्था बनाये रखें । प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।/ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।।/संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों द्वारा छः महीनों में कम से कम एक बार फ्रेंचाइजी के सभी स्थानों की नियमित स्पॉट लेखा-परीक्षा की जानी चाहिए । इस प्रकार की लेखा-परीक्षा में समर्थित दल शामिल करना चाहिए और फ्रेंचाइजी के अनुपालन स्तर की जांच करने के लिए 'मिस्टरी ग्राहक' (ऐसी व्यक्तियां, जो लोग जिस सीमा तक कार्य-निष्पादन कर सकते हैं, उसका अनुभव और मूल्यांकन करने के लिए संभाव्य ग्राहक के रुप में कार्य करती हैं) कल्पना का उपयोग किया जाना चाहिए । फ्रेंचाइजी के बहियों के वार्षिक निरीक्षण की एक प्रणाली भी बनायी जाए ।इस निरीक्षण का प्रयोजन यह सुनिश्चित करना है कि फ्रेंचाइजी द्वारा मुद्रा परिवर्तन कारोबार करार की शर्तों के अनुसार और भारतीय

रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जा रहा है और फ्रेंचाइजी द्वारा आवश्यक अभिलेखों का रखरखाव किया जा रहा है ।

8. धन शोधन निवारक /अपने ग्राहक को जानिये संबंधी दिशा-निर्देश

फ्रेंचाइजी से अपेक्षित है कि वे प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।/प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।।/संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों को लागू धन शोधन निवारक /अपने ग्राहक को जानिए संबंधी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करें ।

टिप्पणी : ऐसे किसी संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक /गैर-बैंक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।। को एजेंटों/ फ्रेंचाइजी की नियुक्ति के लिए लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा जिसके विरूध्द प्रवर्तन निदेशालय/राजस्व आसूचना निदेशालय/ केंद्रीय जांच ब्यूरो/पुलिस की कोई बड़ी जांच लंबित है । यदि किसी संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक/गैर-बैंक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - ।। नें एजेंटों/ फ्रेंचाइजी की नियुक्ति के लिए एक-बार अनुमोदन प्राप्त कर लिया हो और अनुमोदन की तारीख के बाद प्रवर्तन निदेशालय/राजस्व आसूचना निदेशालय/ केंद्रीय जांच ब्यूरो / पुलिस द्वारा कोई मुकदमा दायर किया जाता है तो संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक/गैर-बैंक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।। को तदनंतर एजेंटों/ फ्रेंचाइजी की नियुक्ति नहीं करनी चाहिए और इससे भारतीय रिज़र्व बैंक को यथाशीघ्र अवगत कराना चाहिए। संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक / गैर-बैंक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - ।। को एजेंटों/ फ्रेंचाइजी की नियुक्ति की अनुमति देने का निर्णय भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लिया जाएगा ।

(घ) मौजूदा संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों के लाइसेंस के नवीकरण के लिए दिशा-निर्देश

1. आवेदक,कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिये और उसका पंजीकृत/ प्रधान कार्यालय, कंपनी कार्यालय के क्षेत्राधिकार के भीतर हो ।

2. निवल स्वाधिकृत निधि निम्नवत होना आवश्यक है :

श्रेणी	न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि
एकल शाखा संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक	रुपये 25 लाख
बहु शाखा संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक	रुपये 50 लाख

3. नवीनीकरण के लिए आवेदन पत्र निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किये जाने चाहिए ।

(क) लेखा-परीक्षा की तारीख को निवल स्वाधिकृत निधि की स्थिति संबंधी सांविधिक लेखा-परीक्षकों से प्राप्त प्रमाणपत्र के साथ लेखों की अंतिम लेखा-परीक्षा रिपोर्ट की प्रतिलिपि ।

(ख) मुहरबंद लिफार्फे में आवेदक के बैंकर की गोपनीय रिपोर्ट ।

(ग) इस आशय का घोषणापत्र कि आवेदक कंपनी और उसके निदेशकों के विरुध्द प्रवर्तन निदेशालय / राजस्व आसूचना निदेशालय अथवा किसी अन्य कानून लागू करने वाले प्राधिकारण के पास कोई कार्यवाही चालू / लंबित नहीं है और आवेदक कंपनी और उसके निदेशकों के विरुध्द कोई आपराधिक मामले नहीं चल रहे हैं/ लंबित नहीं हैं ।

(घ) कंपनी में अपने ग्राहक को जानिये/धन शोधन निवारक मौजूदा नीति की रुपरेखा की एक प्रतिलिपि ।

टिप्पणी :-मुद्रा परिवर्तक के लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए लाइसेंस की समाप्ति से एक महीने पहले अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन पत्र दिया जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति अपने मुद्रा परिवर्तक के लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है तो लाइसेंस नवीनीकरण की तारीख तक अथवा आवेदन पत्र

अस्वीकृत किये जाने तक , जैसी भी स्थिति हो, लाइसेंस बना रहेगा ।मुद्रा परिवर्तक के लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए लाइसेंस की समाप्ति के बाद आवेदन पत्र नहीं दिया जाना चाहिए ।

(ङ) परिचालनात्मक अनुदेश

1. विदेशी मुद्रा लाना और बाहर ले जाना

(i) विदेशी मुद्रा किसी भी सीमा तक और मुक्त रुप से भारत में लाई जा सकती है बशर्ते कि आते समय सीमा शुल्क प्राधिकारियों के समक्ष मुद्रा घोषणा फॉर्म (सीडीएफ) में घोषित की जाए । यदि करेंसी नोटों अथवा यात्री चेक के रुप में विदेशी मुद्रा 10,000/- अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य से अधिक न हो और अथवा विदेशी करेंसी नोटों का मूल्य 5,000/- अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य से अधिक न हो तो सीडीएफ के लिए दबाव न डाला जाए ।

(ii) प्राधिकृत व्यापारी अथवा मुद्रा परिवर्तक से प्राप्त की गई विदेशी मुद्रा को छोड़कर,जब तक भारतीय रिज़र्व बैंक के सामान्य अथवा विशेष अनुमोदन के तहत स्वीकार्य न हो ,किसी भी रूप में विदेशी मुद्रा बाहर ले जाना निषिध्द है । परंतु उक्त उप-पैरा (i) के अनुपालन की शर्त पर अनिवासियों को , शुरू में लाई गई रकम के बराबर विदेशी मुद्रा बाहर ले जाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की सामान्य अनुमति है ।

2. जनता से विदेशी मुद्रा की खरीद

(i) प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों (एएमसीएस) / फ्रेंचाइजी निवासियों और अनिवासियों से मुक्त रुप से विदेशी मुद्रा नोट, सिक्के और यात्री चेक की खरीद कर सकते हैं । यदि विदेशी मुद्रा सीडीएफ फॉर्म पर घोषणा करके लाई गई है तो घोषणा फॉर्म प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए । प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक ,सीडीएफ में घोषणा प्रस्तुत करने के लिए अनिवार्य रुप से आग्रह करें ।

(ii) प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों (एएमसीएस) विदेशी पर्यटकों को अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड पर भारतीय रुपये बेच सकते हैं और सामान्य बैंकिंग माध्यम से उनकी प्रतिपूर्ति के लिए तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं ।

3. नकदीकरण प्रमाणपत्र

(क) प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक, जनता से खरीद के मामलों में , मांगे जाने पर, नकदीकरण का प्रमाणपत्र जारी कर सकते हैं । ये प्रमाणपत्र मुद्रा परिवर्तक के पत्र-शीर्ष पर प्राधिकृत हस्ताक्षरों से जारी किये जाएं और उनका उचित अभिलेख रखा जाए ।

(ख) जिन मामलों में नकदीकरण प्रमाणपत्र जारी न किया गया हो, ग्राहकों के ध्यान में यह तथ्य लाया जाये कि केवल वैध नकदीकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर ही अनिवासियों के पास बची हुई स्थानीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करने की अनुमति दी जाएगी।

4. प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों (एएमसीएस) और प्राधिकृत व्यापारियों से खरीद

प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक (एएमसीएस) किसी भी अन्य प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक (एएमसीएस) और प्राधिकृत व्यापारियों से सामान्य कारोबार के दौरान प्राप्त विदेशी मुद्रा नोट, सिक्के और भुनाये गये यात्री चेक खरीद सकते हैं । खरीदी गई विदेशी मुद्रा का भुगतान उसके समतुल्य रुपयों के रेखांकित आदाता चेक / मांग ड्राफ्ट/बैंकर चेक / आदेश द्वारा किया जाए ।

5. विदेशी मुद्रा की विक्री

(I) निजी यात्राएं

प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक (एएमसीएस), पात्र भारतीय नागरिक निवासियों को किसी भी देश की (नेपाल और भूटान को छोड़कर),एक या अनेक, निजी यात्रा/यात्राओं के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) विनियमावली, 2000 की सारणी III में विनिर्दिष्ट निर्धारित सीमा (वर्तमान में 10,000 अमरीकी

डॉलर) तक विदेशी मुद्रा बेच सकते हैं । इस प्रकार की निजी यात्रा के लिए यात्री को वित्तीय वर्ष के दौरान ली गई विदेशी मुद्रा की राशि के संबंध में स्व-घोषणा पत्र आधार पर विदेशी मुद्रा उपलब्ध हो सकेगी । भारत में स्थायी रुप से रह रहे विदेशी नागरिकों को भी अपनी निजी यात्राओं के लिए यह कोटा लेने की पात्रता है बशर्ते कि आवेदक उसका उपयोग अपने वेतन, अपनी बचत आदि को वर्तमान विनियमावली के अनुसार विदेश भेजने की सुविधा का लाभ न उठा रहा हो ।

(II) कारोबारी यात्राएं

प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक (एएमसीएस) भारत में रहने वाले व्यक्तियों को कारोबारी यात्रा करने अथवा सम्मेलन में भाग लेने अथवा विशिष्ट प्रशिक्षण अथवा इलाज के लिए विदेश जा रहे रोगी के निर्वाह व्यय अथवा विदेश में जांच के लिए अथवा इलाज / चिकित्सीय-जांच के लिए विदेश जा रहे रोगी के साथ परिचर के रुप में जाने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) विनियमावली, 2000 की सारणी III में विनिर्दिष्ट सीमा (वर्तमान में 25,000 अमरीकी डॉलर) तक विदेशी मुद्रा बेच सकते हैं ।

शर्तें

i. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सामान्यत: ऐसे दस्तावेजों का निर्देशन नहीं किया जायेगा , जिनका प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों को विदेशी मुद्रा जारी करते समय सत्यापन करना चाहिए । इस संबंध में, प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों का ध्यान विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 के खण्ड 10 के उप-खण्ड (5) की ओर आकर्षित किया जाता है ।

ii. यात्री चेक जारी करने के मामले में, यात्री को प्राधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में चेकों पर हस्ताक्षर करना चाहिए और यात्री चेकों की प्राप्ति के लिए क्रेता की प्राप्ति सूचना का लेखा-जोखा रखा जाए ।

iii. प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक,यात्री द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान ली गयी विदेशी मुद्रा की राशि के संबंध में दिये गये घोषणापत्र के आधार पर यात्रा प्रयोजन हेतु विदेशी मुद्रा जारी कर सकते हैं ।

iv. प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक विदेश यात्रा (निजी यात्रा अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए की गयी यात्रा) के लिए बेची गयी विदेशी मुद्रा के संबंध में रु..50000/- (रुपये पचास हजार केवल) तक नकदी भुगतान स्वीकार सकते हैं । बेची गयी विदेशी मुद्रा की राशि रु.50000/(रुपये पचास हजार) -से अधिक होने पर केवल आवेदक के बैंक खाते पर आहरित रेखांकित चेक अथवा आवेदक की यात्रा प्रायोजित करनेवाली फर्म / कंपनी के बैंक खाते पर आहरित रेखांकित चेक अथवा बैंकर्स चेक / भुगतान आदेश / मांग ड्राफ्ट द्वारा भुगतान प्राप्त किया जाए । इस प्रयोजन के लिए, एक तो किसी एकल आहरण अथवा एक से अधिक आहरण को एकल यात्रा के रुप में माना जाए, जिसके लिए आहरित विदेशी मुद्रा की कीमत रु..50000/(रुपये पचास हजार) -से अधिक होने पर उसका भुगतान चेक / बैंकर्स चेक / भुगतान आदेश / मांग ड्राफ्ट द्वारा किया जाए । प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक रुपयों में / रेखांकित चेक/ बैंकर्स चेक / भुगतान आदेश / मांग ड्राफ्ट के जरिये किये गये भुगतान के अतिरिक्त, विदेश यात्रा (निजी यात्रा अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए की गयी यात्रा) के लिए डेबिट कार्डों/क्रेडिट कार्डों/प्रीपेड कार्डों के जरिये किये गये भुगतान भी स्वीकृत कर सकते हैं बशर्ते - (i) अपने ग्राहक को जानिये / धन शोधन निवारक दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया गया हो (ii) बेची गयी विदेशी मुद्रा / विदेशी मुद्रा में जारी किये गये यात्री चेकों की राशि बैंक द्वारा निर्धारित सीमाओं (क्रेडिट/प्रीपेड कार्डस्) के भीतर हो ,(iii) विदेशी मुद्रा /विदेशी मुद्रा यात्री चेक का खरीददार और क्रेडिट/डेबिट/प्रीपेड कार्ड धारक एक ही व्यक्ति हो ।

v. विदेशी मुद्रा नोटों और सिक्कों की बिक्री विदेशी मुद्रा की समग्र पात्रता के भीतर होनी चाहिए जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यात्री की यात्रा के देश के लिए समय समय पर निर्धारित की गई हो ।

6. भारतीय मुद्रा के परिवर्तन के बदले बिक्री

प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक , भारत से प्रस्थान करते समय अनिवासियों के पास बची हुई भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा से पुन: बदल सकते हैं बशर्ते कि वैध नकदीकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया हो ।

टिप्पणी (1): यह सुनिश्चित करने के बाद कि अनिवासी व्यक्ति अगले सात दिन में प्रस्थान करने वाला है और वह व्यक्ति नकदीकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है तथा इसका उसके पास उचित कारण है ,प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक अपने विवेक से अनिवासियों व्यक्तियों के पास बची हुई रु.10,000 तक की राशि भारतीय मुद्रा में परिवर्तित कर सकते हैं ।

टिप्पणी (2): प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। और प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -।। निम्नलिखित दस्तावेजों के आधार पर एटीएम रसीदों पर विदेशी पर्यटकों (अनिवासी भारतीय नहीं) को रु.50,000 तक भारतीय रुपये में पुन: परिवर्तन की सुविधा प्रदान कर सकते हैं ।

- वैध पारपत्र और वीज़ा
- 7 दिनों के भीतर प्रस्थान के लिए कन्फर्म टिकट
- एटीएम पर्ची मूल रूप में (मूल डेबिट/क्रेडिट कार्ड के साथ सत्यापन के लिए)

7. कैश मेमो

प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक से यदि मांगा जाता है तो वे अपने कार्यालय के पत्र-शीर्ष पर विदेशी मुद्रा क्रेता यात्री को कैश मेमो जारी कर सकते हैं । वह कैश मेमो देश छोड़ते वक्त उत्प्रवासन प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हो सकता है ।

8. विनिमय दर

प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक, विदेशी मुद्रा नोटों और यात्री चेकों को बाज़ार की स्थिति द्वारा निर्धारित विनिमय दर पर लेनदेन कर सकते हैं ।

9. विनिमय दर चार्ट प्रदर्शन

प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक, पब्लिक काउंटर के निकट प्रमुख स्थानों पर चार्ट लगायेंगे, जिसमें विदेशी मुद्रा नोटों और यात्री चेकों की खरीद /बिक्री की दरें दी गई हों ।

10. विदेशी मुद्रा शेष

i. प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों को अपने पास यथोचित मात्रा में विदेशी मुद्रा शेष रखना चाहिये और मुद्रा के उतार-चढ़ाव की सट्टेबाजी को ध्यान में रखते हुए निक्रिय शेष रखने से बचना चाहिये ।

ii. आरएमसी /फ्रेंचाइजी , खरीदे गये विदेशी मुद्रा नोट, सिक्के और यात्री चेक , प्राधिकृत व्यापारी अथवा प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक के पास 7 कार्य-दिवसों के भीतर जमा कर देंगे ।

iii. प्राधिकृत व्यापारी, संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक और आरएमसी के लेनदेन की चुकौती रेखांकित चेक/ मांग ड्राफ्ट द्वारा की जाएगी । किसी भी हालत में नकद लेन देन नहीं किया जाना चाहिए ।

11. विदेशी मुद्रा शेष - पुनर्भरण

(i) प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक अपनी सामान्य कारोबार की जरूरतों के अनुसार दूसरे प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक (आरएमसी सहित), भारत में विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारियों से रेखांकित चेक / मांग ड्राफट द्वारा रुपये में भुगतान करके प्राप्त कर सकते हैं ।

(ii) यदि प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक इस तरीके से अपने स्टॉक का पुनर्भरण नहीं कर सकते हैं तो भारत में विदेशी मुद्रा आयात करने की अनुमति के लिए प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से विदेशी मुद्रा बाज़ार विभाग, विदेशी मुद्रा विभाग,केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई को आवेदनपत्र दें । जिस नामित प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से आवेदनपत्र दिया जाता है, उसके माध्यम से ही आयात किया जाए ।

12. निर्यात/अतिरिक्त विदेशी मुद्रा नोट/यात्री चेकों का निपटान

प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक विदेशी मुद्रा के नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक के माध्यम से मूल्य की उगाही के लिए अतिरिक्त विदेशी मुद्रा नोट / भुनाये गये यात्री चेकों को किसी समुद्रपारीय बैंक को निर्यात कर सकते हैं । संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक,अतिरिक्त विदेशी मुद्रा, निजी मुद्रा परिवर्तकों को भी निर्यात कर सकते हैं बशर्ते कि वसूली योग्य मूल्य पहले ही किसी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक के नास्ट्रो खाते में जमा कर दिया गया हो अथवा निर्यात किये जानेवाले विदेशी मुद्रा नोट /सिक्कों के संपूर्ण मूल्य के लिए किसी प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय बैंक द्वारा बैंक गारंटी जारी की गई हो ।

13. जाली विदेशी मुद्रा नोटों को बट्टे खाते डालना

खरीदे गये विदेशी मुद्रा नोटों के जाली पाये जाने पर, प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक, अपनी रकम की वसूली के लिए सभी उपलब्ध विकल्पों का उपयोग करने के पश्चात, अपने शीर्ष प्रबंध के अनुमोदन से 2000 अमरीकी डॉलर तक प्रति वर्ष बट्टे खाते डाल सकते हैं । बट्टे खाते डालने की रकम इससे अधिक होने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय का अनुमोदन अपेक्षित होगा ।

14. मुद्रा परिवर्तन कारोबार के लिए रजिस्टर और लेखा बहियां

i. प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक,अपने मुद्रा परिवर्तन लेनदेनों के संबंध में निम्नलिखित रजिस्टर रखेंगे :

(क) फॉर्म **एफएलएम** 1 में दैनिक सारांश और तुलन बही (**अनुबंध- V**)

(ख) फॉर्म **एफएलएम** 2 में दैनिक सारांश और तुलन बही (**अनुबंध- VI**)

(ग) फॉर्म **एफएलएम** 3 में जनता से विदेशी मुद्रा की खरीद का रजिस्टर (**अनुबंध- VII**)

(घ) फॉर्म **एफएलएम** 4 में प्राधिकृत व्यापारियों और प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों से खरीदे गये विदेशी मुद्रा नोट / सिक्कों का रजिस्टर (**अनुबंध- VIII**)

(ङ) फॉर्म **एफएलएम** 5 में जनता को विदेशी मुद्रा नोटों / सिक्के और विदेशी मुद्रा यात्री चेकों की बिक्री का रजिस्टर (**अनुबंध- IX**)

(च) फॉर्म **एफएलएम** 6 में प्राधिकृत व्यापारियों / संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों / समुद्रपारीय बैंकों को विदेशी मुद्रा नोटों / सिक्कों की बिक्री का रजिस्टर (**अनुबंध- X**)

(ज)फॉर्म **एफएलएम** 7 में प्राधिकृत व्यापारियों / प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों को सुपुर्द /निर्यात किये गये चेकों का रजिस्टर (**अनुबंध- XI**)

ii. सभी रजिस्टर और बही को अद्यतन रखा जाए, उसकी दुतरफा जांच की जाए और शेष का सत्यापन प्रतिदिन किया जाए ।

iii. प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक के मुद्रा परिवर्तन कारोबार से भिन्न लेनदेन को मुद्रा परिवर्तन के लेनदेन के साथ न मिलाया जाए । दूसरे शब्दों में , रजिस्टर और लेखा बहियों से मुद्रा परिवर्तन कारोबार से संबंधित लेनदेन का स्पष्ट रुप से मिलान किया जाना चाहिए ।

iv. यदि प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक एक से अधिक स्थानों पर कारोबार करता है तो प्रत्येक स्थान के लिए अलग अलग रजिस्टर होना चाहिए ।

टिप्पणी : विदेशी मुद्राओं का अंतर-शाखा अंतरण स्टॉक अंतरित किया गया ऐसा लेखांकित किया जाएगा और न कि बिक्री के रुप में लेखांकित किया जाएगा ।

15. विवरणी भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करना

i. प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक, अपने सभी कार्यालयों का विदेशी मुद्रा नोटों की खरीद और बिक्री संबंधी समेकित विवरण फॉर्म **एफएलएम 8 (अनुबंध- XII)** में भारतीय रिज़र्व बैंक के उस कार्यालय को, जिसने लाइसेंस /एकीकृत लाइसेंस जारी किया हो , इस प्रकार भेजें कि वह संबंधित माह से अगले माह की 10 तारीख तक अवश्य मिल जाए।

ii. इसी प्रकार,प्रतिबंधित मुद्रा परिवर्तक , भारतीय रिज़र्व बैंक के जिस कार्यालय के क्षेत्राधिकार में कार्यरत हैं, फॉर्म **आरएलएम 3 (अनुबंध- XIII)** में तिमाही विवरण प्रस्तुत करें। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।/ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।।/संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक द्वारा विधिवत् प्रमाणित विवरण आगामी तिमाही के बाद आनेवाले महीने की 10 तारीख तक अवश्य भारतीय रिज़र्व बैंक में पहुंच जाना चाहेए । यदि खरीदी गई विदेशी मुद्राओं को अलग - अलग प्राधिकृत व्यापारियों /संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक द्वारा अभ्यर्पित किया जाता है तो प्रत्येक ऐसे प्रधिकृत व्यापारी /संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक द्वारा अपना अपना प्रमाणित अलग तिमाही विवरण तैयार किया जाए ।

iii. प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक,संलग्न फॉर्मेट के **अनुबंध- XIV** में प्रति लेनदेन 10,000 (अथवा उसके समतुल्य) अमरीकी डॉलर और उससे अधिक की प्राप्ति/खरीद का ब्योरा देते हुए मासिक विवरण विदेशी मुद्रा विभाग,भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को महीने की समाप्ति पर आगामी महीने की 10 तारीख तक अवश्य भेज दें ।/संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक/ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -।। अपने विवरण में अपने फ्रेंचाइजी के लेनदेन को शामिल करें ।

iv. प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक , **अनुबंध- XV** में फॉर्मेट के अनुसार प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। के पास उनके नाम में भारत में रखे गये विदेशी मुद्रा लेखों संबंधी तिमाही विवरण विदेशी मुद्रा विभाग,भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेज दें ।

v. समस्त प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों द्वारा, **अनुबंध- XVI** में दिये गये फॉर्मेट के अनुसार, वित्तीय वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाली गयी राशि के ब्योरे देते हुए, लाइसेंस देने वाले भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के विदेशी मुद्रा विभाग को वित्तीय वर्ष की की समाप्ति पर आगामी माह के भीतर एक वार्षिक विवरण प्रस्तुत किया जाए ।

16. प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों की लेनदेन का निरीक्षण

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 12 (1) भारतीय रिज़र्व बैंक के किसी अधिकारी को प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों की बहियों और अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण करने का इस संबंध में विशेष रुप से अधिकार प्रदान करती है। प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक, निरीक्षण करते समय निरीक्षण अधिकारियों को सभी प्रकार की सहायता एवं सहयोग करें। कोई लेखा बही अथवा अन्य दस्तावेज अथवा कोई विवरण अथवा जानकारी न दे पाना अथवा मुद्रा परिवर्तन लेनदेन के संबंध में निरीक्षण अधिकारी के किसी प्रश्न का जवाब न देना,अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा ।

17. समवर्ती लेखा परीक्षा

(i) प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक अपने लेनदेनों के लिए समवर्ती लेखा परीक्षा की प्रणाली लागू करें ।

(ii) सभी एकल शाखा प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक जिनका कुल पण्यावर्त (टर्न ओवर) प्रतिमाह 100,000 अमरीकी डॉलर से अधिक अथवा उसके समतुल्य है और कई शाखाओं वाले प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक मासिक लेखा परीक्षा प्रणाली लागू करें । एकल शाखा प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक जिनका कुल पण्यावर्त प्रतिमाह 100,000 अमरीकी डॉलर से कम अथवा उसके समतुल्य है वे तिमाही लेखा परीक्षा प्रणाली लागू करें ।

(iii) समवर्ती लेखा परीक्षकों की नियुक्ति / उनका चयन प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों के विवेक पर छोड़ दिया गया है । समवर्ती लेखा परीक्षक प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों के सभी लेनदेनों की जांच करे और सुनिश्चित करें कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर जारी सभी अनुदेशों का पालन किया जाता है । सांविधिक लेखा परीक्षकों को प्रमाणित करना होगा कि समवर्ती लेखा परीक्षा और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली संतोषजनक कार्य कर रही है ।

18. अस्थायी मुद्रा परिवर्तन सुविधाएं

प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक केवल लाइसेंस में उल्लिखित स्थानों अथवा विशिष्ट रुप से उल्लिखित स्थानों पर ही मुद्रा परिवर्तन का कारोबार करने के लिए प्राधिकृत हैं । यदि किसी विशेष मौके पर अस्थायी रुप से मुद्रा परिवर्तन की सुविधा प्रदान करने की इच्छा जाहिर की जाती है तो उसके लिए विदेशी मुद्रा विभाग,भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को आवेदनपत्र देना होगा । आवेदनपत्र में पूरे ब्योरे जैसे, अवधि जिसमें विनिमय काउंटर लगाया जाएगा, प्रत्याशित कारोबार की मात्रा, लेनदेन के लेखाकरण का तरीका , मुद्रा परिवर्तन की सुविधा प्रदान करने लिए स्थान उपलब्ध कराने का आयोजकों से प्राप्त पत्र, आदि प्रस्तुत करना होगा ।

19. प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों द्वारा विदेशी मुद्रा खाता खोलना

प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों को,भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के विदेशी मुद्रा विभाग के अनुमोदन से निम्नलिखित शर्तों पर भारत में विदेशी मुद्रा खाता खोलना की अनुमति दी जा सकती है :-

(i) किसी विशिष्ट केंद्र पर केवल एक खाते को अनुमति दी जा सकती है।

(ii) विदेशी मुद्रा नोटों/विशिष्ट बैंक के जरिये निर्यातित भुनाये गये यात्री चेकों का मूल्य ही खाते में जमा किया जा सकता है ।

(iii) खातों में शेष राशि का उपयोग केवल निम्नलिखित के कारण देयताओं के निपटान के लिए ही किया जाएगा -

(क) प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तको द्वारा बेचे गये यात्री चेक और

(ख)प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंकों से प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों द्वारा प्राप्त विदेशी मुद्रा नोट ।

(iv) इस खाते में कोई निक्रिय शेष नहीं रखा जाएगा ।

20. तुलन पत्र प्रस्तुत करना और निवल स्वाधिकृत निधि बनाये रखना

सभी प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकें से अपेक्षित है कि वे अपने निवल स्वाधिकृत निधि के सत्यापन के प्रयोजन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को अपना वार्षिक लेखा परीक्षण किया गया तुलन पत्र,सांविधिक लेखा परीक्षकों से तुलन पत्र की तारीख तक निवल स्वाधिकृत निधि संबंधी प्रमाणपत्र के साथ प्रस्तुत करें । चूंकि प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों से अपेक्षित है कि वे निरंतरता के आधार पर न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि बनाये रखें, उन्हें आवश्यक है कि यदि उनक । निवल स्वाधिकृत निधि न्यूनतम स्तर से कम होता है तो निवल स्वाधिकृत निधि न्यूनतम आवश्यक

स्तर तक लाने के लिए ब्योरेवार समयबध्द योजना का उल्लेख करते हुए इससे भारतीय रिज़र्व बैंक को तत्काल अवगत करा दें ।

(च) धन शोधन निवारक (एएमएल) दिशा-निर्देश

1.धन शोधन

धन शोधन का अपराध, धनशोधन निवारण अधिनियम,2002 (पीएमएलए) की धारा 3 में " जो कोई अपराध की प्रक्रिया के साथ जुड़ी किसी क्रियाविधि अथवा गतिविधि में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष शामिल होने का प्रयास करता है अथवा जानबूझकर सहायता करता है अथवा जानबूझकर कोई पार्टी है अथवा वास्तविक रुप से शामिल है और उसे बेदाग संपत्ति के रुप में प्रक्षेपित करता है वह धन शोधन के अपराध का दोषी होगा " इस प्रकार परिभाषित किया गया है । धन शोधन ऐसी प्रक्रिया कही जा सकती है जिसमें मुद्रा अथवा अन्य परिसंपत्तियां अपराध के आगम के रुप में प्राप्त की गयी है, जो "बेजमानती मुद्रा " के लिए विनिमय की जाती है अथवा उनके आपराधिक मूल से कोई स्पष्ट संबंध नहीं है ऐसी अन्य परिसंपत्तियां हैं ।

2. धन शोधन दिशा-निर्देश

धन शोधन निवारक दिशा-निर्देश निर्धारित करने का प्रयोजन विदेशी मुद्रा नोटों / यात्री चेकों की खरीद और /अथवा बिक्री कर रहे प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों (एएमसीएस) के धन शोधन के लिए उपयोग किये जाने से प्रणाली को बचाना है । अत: धन शोधन निवारक (एएमएल) उपायों में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए :

क. "अपने ग्राहक को जानिये " (केवाइसी) मापदण्डों के अनुसार ग्राहक की पहचान,

ख. संदिग्ध लेनदेनों की पहचान, कारोबार करना और प्रकटीकरण,

ग. धन शोधन रिपोर्टिंग अधिकारी की नियुक्ति (एमएलआरओ,

घ. स्टाफ प्रशिक्षण

ङ. अभिलेखों का रखरखाव

च. लेनदेनों की लेखा परीक्षा

निम्नलिखित पैराग्राफों में प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों को धन शोधन निवारक उपायों के लिए यथोचित नीतिगत रुपरेखा तैयार करने और लागू करने के लिए सक्षम बनाने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश निहित हैं ।

3. अपने ग्राहक को जानिये (केवाइसी) - ग्राहकों की पहचान

200 अथवा उसके समतुल्य अमरीकी डॉलर से कम विदेशी मुद्रा की खरीद के लिए पहचान दस्तावेजों की फोटो प्रतियां अभिलेख में रखने की आवश्यकता नहीं है । तथापि, पहचान दस्तावेजों के पूरे ब्योरे अभिलेख में रखे जाएं ।

200 अमरीकी डॉलर और 2000 अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य के बीच विदेशी मुद्रा के नकदीकरण के लिए पहचान दस्तावेजों की फोटो प्रतियां एक वर्ष के लिए और सांविधिक लेखा परीक्षा पूर्ण होने तक अभिलेख में रखी जाएं ।

2000 अथवा उसके समतुल्य अमरीकी डॉलर से अधिक के नकदीकरण के लिए पहचान दस्तावेजों की फोटो प्रतियां पांच वर्षों की न्यूनतम अवधि के लिए अभिलेख में रखी जाएं ।

4. विदेशी मुद्रा की खरीद

क) 500 अथवा उसके समतुल्य अमरीकी डॉलर तक के विदेशी मुद्रा नोटों और / अथवा यात्री चेकों के नकदीकरण के लिए, पारपत्र प्रस्तुत किये जाने पर जोर न दिया जाए और पहचान के किसी अन्य उपयुक्त दस्तावेज जैसे राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस,आदि स्वीकार किया जा सकता है ।

ख) 500 अथवा उसके समतुल्य अमरीकी डॉलर से अधिक के नकदीकरण के लिए ग्राहक की पहचान के सत्यापन के लिए फोटो पहचान दस्तावेज जैसे पारपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड,चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया मतदाता पहचान पत्र, आदि प्राप्त किया जाए ।

ग) प्रति लेनदेन 1000 अथवा उसके समतुल्य अमरीकी डॉलर की सीमा तक नकद में बिक्री आगम के भुगतान के लिए अनुरोधों का स्वीकार किया जा सकता है । इस प्रयोजन के लिए एक महीने के भीतर के सभी नकदीकरण एकल लेनदेन के रुप में माने जाएं । विदेशी पर्यटकों / अनिवासी भारतीयों द्वारा 3000 अथवा उसके समतुल्य अमरीकी डॉलर की सीमा तक नकद में भुगतान के लिए अनुरोधों का स्वीकार किया जा सकता है । सभी अन्य मामलों में, प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक आदाता चेक /मांग ड्राफ्ट के रुप में ही भुगतान करेंगे ।

घ) जब अनिवासी अथवा विदेश से लौटने वाले व्यक्ति द्वारा नकदीकरण के लिए प्रस्तुत की गयी विदेशी मुद्रा की राशि मुद्रा घोषणा पत्र फॉर्म के लिए निर्धारित सीमाओं से अधिक होती है तो प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक सीडीएफ में घोषणापत्र के प्रस्तुतीकरण के लिए अनिवार्य रुप से जोर दें ।

5. राशि पर ध्यान दिये बिना विदेशी मुद्रा क ा बिक्री के सभी मामलों में

पहचान के लिए ग्राहक के पारपत्र पर जोर दिया जाए । विदेशी मुद्रा क ा बिक्री केवल वैयक्तिक आवेदनपत्र और पहचान पर ही की जाएगी । विदेशी मुद्रा क ा बिक्री के संबंध में रु.50,000/- से अधिक भुगतान केवल आवेदक का रेखांकित चेक / आवेदक की यात्रा प्रायोजित करनेवाली फर्म/कंपनी के बैंक खाते पर आहरित रेखांकित चेक / बैंकर्स चेक /भुगतान आदेश / मांग ड्राफ्ट द्वारा ही प्राप्त किया जाएगा । ऐसे भुगतान डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड /प्रीपेड कार्ड के जरिये भी प्राप्त किये जा सकते हैं बशर्ते (i) अपने ग्राहक को जानिये / धन शोधन निवारक दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया गया है, (ii) विदेशी मुद्रा की बिक्री / विदेशी मुद्रा में जारी किये गये यात्री चेक बैंक द्वारा निर्धारित सीमाओं (क्रेडिट/प्रीपेड कार्डस्) के भीतर है, (iii) विदेशी मुद्रा/विदेशी मुद्रा यात्री चेक का खरीददार और क्रेडिट/डेबिट/प्रीपेड कार्ड धारक एक और वही व्यक्ति है । इस प्रयोजन के लिए एक महीने के भीतर किसी व्यक्ति द्वारा की गयी सभी खरीद एकल लेनदेन के रुप में मानी जाए । जहां आवश्यक हो नकदीकरण प्रमाणपत्र पर जोर दिया जाए ।

6. व्यवसाय संबंध स्थापित करना

कंपनी / फर्म जैसी किसी व्यवसाय संस्था के साथ संबंध केवल तभी स्थापित किये जायेंगे जब नाम,पता और व्यवसाय गतिविधि जैसे कंपनी अधिनियम,1956 के तहत समावेशन के प्रमाणपत्र, संस्था के बहिर्नियम और संस्था के अंतर्नियम, फर्म का पंजीकरण प्रमाणपत्र (यदि पंजीकृत है), भागीदारी विलेख, पॅन कार्ड, आदि के समर्थन में यथोचित दस्तावेज प्राप्त किये जाते हैं और उनका सत्यापन किया जाता है । कंपनी / फर्म की ओर से लेनदेन करने के लिए प्राधिकृत किये गये कर्मचारियों की सूची और उनके हस्ताक्षरों के साथ उनकी पहचान भी मांगी जाए ।सत्यापन के लिए मांगे गये सभी दस्तावेजों की प्रतियां अभिलेख में रखी जाए ।

7. संदिग्ध लेनदेन

प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक ने यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका स्टाफ धन शोधन लेनदेन करते समय सतर्क रहता है । लेनदेन संदिग्ध है अथवा नहीं यह निर्धारित करना धन शोधन निवारक उपायों का महत्वपूर्ण भाग है । लेनदेन, उसमें निहित राशि पर ध्यान दिये बिना संदिग्ध प्रकार का हो सकता है । कुछ संभाव्य संदिग्ध गतिविधि संकेतक नीचे दिये गये हैं :

- ग्राहक क्षुद्र आधार पर ब्योरे / दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए इच्छुक नहीं है ।
- लाभार्थी की पहचान संरक्षित करने और उनका शामिल होना छिपाने के लिए एक अथवा अधिक मध्यस्थों द्वारा लेनदेन करना ।
- बड़ी नकदी लेनदेन
- ग्राहक के सामान्य कारोबार को देखते हुए लेनदेन का आकार और बारंबारिता अधिक होना ।
- लेनदेन किये गये कारोबार के स्वरुप में परिवर्तन

उपर्युक्त सूची केवल संकेत सूचक है और न कि सर्वसमावेशक है ।

8. धन शोधन रिपोर्टिंग अधिकारी की नियुक्ति (एमएलआरओ)

क. प्रत्येक प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक द्वारा लेनदेनों पर निगरानी रखने के लिए एक धन शोधन रिपोर्टिंग अधिकारी की नियुक्ति (एमएलआरओ) की जाए और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ।यदि कोई लेनदेन संदिग्ध प्रतीत होता हो तो धन शोधन रिपोर्टिंग अधिकारी (एमएलआरओ) की सहमति प्राप्त करने के बाद ही उसे स्वीकृत किया जाए । धन शोधन रिपोर्टिंग अधिकारी (एमएलआरओ) संदिग्ध लेनदेन / लेनदेनों के संबंध में वित्तीय आसूचना ईकाई (एफआइयु) को रिपोर्ट करने के लिए भी जिम्मेदार होगा ।

ख. धन शोधन रिपोर्टिंग अधिकारी (एमएलआरओ) को सभी आवश्यक जानकारी /दस्तावेज, जो उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने में सहायक होंगे, उपलब्ध कराये जाएंगे ।

ग. धन शोधन रिपोर्टिंग अधिकारी(एमएलआरओ) की जिम्मेदारी में निम्नलिखित बातें शामिल की जा सकती हैं :

- संदिग्ध लेनदेनों का पता लगाने के लिए आवश्यक नियंत्रण की व्यवस्था ।
- स्टाफ से अथवा अन्य प्रकार से संदिग्ध लेनदेनों से संबंधित जानकारी हासिल करना ।
- यह तय करना कि क्या यथोचित प्राधिकरणों को लेनदेन की सूचना देना है अथवा नहीं ।
- संदिग्ध लेनदेनों का पता लगाने के लिए स्टाफ को प्रशिक्षित करना और विस्तृत दिशा-निर्देश / हैंडबुक तैयार करना ।
- धन शोधन निवारण के लिए प्रणाली और क्रियाविधियों की पर्याप्तता अथवा अन्यथा पर वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना और उक्त रिपोर्ट वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 3 महीनों के भीतर शीर्ष-प्रबंधन को प्रस्तुत करना ।

9. संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्टिंग

- जहां तक संभव हो, सभी संदिग्ध लेनदेन,संपन्न होने से पहले धन शोधन रिपोर्टिंग अधिकारी (एमएलआरओ) की जानकारी में लाये जायें।

- सभी संदिग्ध लेनदेनों, किये गये अथवा न किये गये, के पूरे ब्योरे धन शोधन रिपोर्टिंग अधिकारी (एमएलआरओ) को लिखित में रिपोर्ट किये जाने चाहिए ।
- संदिग्ध लगने वाली कोई लेनदेन धन शोधन रिपोर्टिंग अधिकारी (एमएलआरओ) के पूर्वानुमोदन से ही की जाए ।
- यदि धन शोधन रिपोर्टिंग अधिकारी (एमएलआरओ) तर्कसंगत ढँग से संतुष्ट होता है कि संदिग्ध लेनदेन से धन शोधन किया गया है / किया जा रहा है, तो उसे यथोचित प्राधिकरणों (अर्थात् वित्तीय आसूचना ईकाई (एफआइयु) को रिपोर्ट करना चाहिए ।

10. स्टाफ प्रशिक्षण

प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक के सभी प्रबंधक और स्टाफ , धनशोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के धन शोधन निवारण से संबंधित नीतियों और क्रियाविधियों से परिचित होने के लिए प्रशिक्षित होने चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि मुद्रा परिवर्तन के बहाने कोई संदिग्ध कार्य नहीं किया जा रहा है , सभी लेनदेनों पर निगरानी रखने की आवश्यकता है। जब कोई संदिग्ध लेनदेन स्टाफ की नजर में आता है तो की जानेवाली कार्रवाई (जैसे कि धन आगम के स्रोत के बारे सवाल करना, पहचान के दस्तावेजों की भलीभाँति छान-बीन , धन शोधन रिपोर्टिंग अधिकारी (एमएलआरओ) को तत्काल इसकी जानकारी देना आदि) प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार की जानी चाहिए और उपयुक्त प्रक्रिया निर्धारित की जानी चाहिए । प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों को धनशोधन निवारक उपायों के अनुकूल कार्यान्वयन के लिए लगातार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना है ।

11. लेखा-परीक्षा / अनुपालन

समवर्ती लेखा-परीक्षकों को , यह सत्यापित करने के लिए कि धनशोधन निवारक दिशा-निर्देशों का पालन किया गया है और अपेक्षानुसार रिपोर्ट किया गया है,सभी लेनदेनों की जांच करनी चाहिए ।समवर्ती लेखा-परीक्षकों द्वारा उल्लिखित चूकों के लिए,यदि कोई हो, अनुपालन रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत की जानी चाहिए । वार्षिक रिपोर्ट तैयार करते समय धनशोधन निवारक दिशा-निर्देशों के अनुपालन पर सांविधिक लेखा-परीक्षकों से एक प्रमाणपत्र प्राप्त करना चाहिए और उसे अभिलेखों में रखा जाना चाहिए ।

12. अभिलेखों का रखरखाव

निम्नलिखित दस्तावेज न्यूनतम पांच वर्षों तक परिरक्षित किये जाएं ।

- सभी लेनदेनों के संबंध में प्राप्त अभिलेख सहित पहचान / शिनाख्त चिह्न।
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर निर्धारित किये गये विवरण /रजिस्टर्स ।
- सभी निरीक्षण / लेखा-परीक्षा /समवर्ती लेखा-परीक्षा रिपोर्टे ।
- उपर्युक्त पारग्राफ 8 के अनुसार शीर्षस्थ प्रबंधन को प्रस्तुत की गयी धन शोधन रिपोर्टिंग अधिकारी (एमएलआरओ) की वार्षिक रिपोर्ट ।
- सभी संदिग्ध लेनदेनों के संबंध में धन शोधन रिपोर्टिंग अधिकारी (एमएलआरओ) को लिखित रूप में अथवा अन्यथा दिये गये ब्योरे ।
- एक महीने के दौरान परस्पर संबंधित व्यक्तियों से 10,00,000 **भारतीय रुपयों** से अधिक नकदी भुगतान पर विदेशी मुद्रा की खरीद के लेनदेनों के ब्योरे ।
- संदिग्ध लेनदेनों के संबंध में यथोचित प्राधिकरण के साथ किया गया पत्राचार /रिपोर्ट ।
- वित्तीय आसूचना इकाई सहित विधि प्रवर्तन प्राधिकरण से प्राप्त मामलों में निर्णय होने तक और मामले बंद होने तक परिरक्षित किये जाएं ।

(छ) लाइसेंस समाप्त करना

यदि भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि (क) ऐसा करना लोकहित में है अथवा (ख)प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक को जिस शर्त पर अनुमोदन प्रदान किया गया था उस शर्त का अनुपालन करने में असफल रहा है अथवा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 के किसी प्रावधान का अथवा उसके अंतर्गत बनाये गये किसी नियम.विनियम, अधिसूचना, निर्देश अथवा आदेश का उल्लंघन किया है तो भारतीय रिज़र्व बैंक प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक को प्रदान किया गया लाइसेंस समाप्त करने का अधिकार आरक्षित करता है । भारतीय रिज़र्व बैंक किसी सांविधिक अथवा विनियामक प्रवधान का उल्लंघन करने के लिए किसी कार्यालय को दिया गया अनुमोदन समाप्त करने का अधिकार आरक्षित करता है । भारतीय रिज़र्व बैंक किसी भी समय पर मुद्रा परिवर्तक के लाइसेंस की मौजूदा शर्तों में परिवर्तित अथवा समापन कर सकता है अथवा नयी शर्ते लगा सकता है ।

अनुबंध-II

09 मार्च 2009 के ए पी(डीआईआर सिरीज़)परिपत्र सं.57 का अनुबंध
(उपर्युक्त पैराग्राफ (अ)(3)(ii))

<u>विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 की धारा 10(1)के तहत संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक लाइसेंस हेतु आवेदनपत्र</u>

1.	आवेदक का पूरा नाम	
2.	पूरा पता	
3.	उस जगह/जगहों का/के नाम जहाँ पर कि आवेदक,मुद्रा परिवर्तन के कारोबार के लिए प्रस्ताव देता है(दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत जारी लाइसेंसों की प्रतियां संलग्न करें)	
4.	(क) कंपनी की स्थापित होने की तारीख (ख) कंपनी के निदेशकों के नाम और पते	
5.	कंपनी पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति(निगमन प्रमाणपत्र और कारोबार शुरू करने के प्रमाणपत्र की प्रति)	
6.	उस पत्र के साथ जिसमें मुद्रा परिवर्तन का कारोबार करने की शर्त का उल्लेख किया गया हो ,संस्था के बहिर्नियम की प्रति	
7.	सीआईआर फॉर्मेट में आवेदक के बैंक/ बैंकों की एक गोपनीय रिपोर्ट ।	
8.	**निवल स्वाधिकृत निधियां** आवेदन -पत्र की तारीख को कंपनी की निवल स्वाधिकृत निधियां तथा उनकी गणना प्रमाणित करते हुए सांविधिक लेखाकार के प्रमाणपत्र के साथ आवेदक कंपनी के खातों के लेखा परीक्षण की अद्यतन प्रति संलग्न की जाये ।	रु.
9.	इस आशय की एक घोषणा कि किसी कानून व्यवस्था प्रवर्तन एजेंसी जैसे कि प्रवर्तन निदेशालय/राजस्व आसूचना निदेशालय में ,कंपनी अथवा उसके किसी निदेशक के विरुध्द कोई विवेचना नहीं चल रही है /न्यायनिर्णयन नहीं हो रहा है और इसके साथ ही किसी अपराध अन्वेषण एजेंसी के पास ,कंपनी अथवा उसके किसी निदेशक के विरुध्द कोई विवेचना लंबित नहीं है।	
10.	मुद्रा परिवर्तन का कारोबार करने के लिए कुशल स्टाफ रखने का वचनपत्र	
11.	विदेशी मुद्रा का कारोबार करने के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों के नाम तथा पदनाम	

12.	आवेदक के कार्यकलापों/कारोबार के स्वरूप पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट	
13.	क्या आवेदक ने इससे पहले पूर्ण मुद्रा परिवर्तक/प्रतिबंधित मुद्रा परिवर्तक(आरएमसी) के लाइसेंस लिए आवेदन -पत्र दिया है ? यदि हाँ तो उसके ब्योरे दें।	
14.	अन्य कोई ब्योरे /विशेष कारण जो आवेदक अपने आवेदन - पत्र के समर्थन में देना चाहे ।	

हम वचन देते हैं कि मुद्रा परिवर्तन का कारोबार करने में हम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसकी तरफ से समय-समय पर जारी सभी नियमों/विनियमों/आदेशों/ निर्देशों/अधिसूचनाओं का पालन करेंगे ।

स्थान:

दिनांक: आवेदक के हस्ताक्षर तथा मुहर

संलग्नक:

1. बैंकर की गोपनीय रिपोर्ट ।
2. लेखों की पिछले तीन वर्ष की लेखापरीक्षा की प्रमाणित प्रतियां ।

नोट: एकल शाखा पूर्ण मुद्रा परिवर्तकों द्वारा रखी जाने वाली स्वाधिकृत निवल निधियां 25 लाख रुपये से कम की नहीं होंगी जब कि एक से अधिक शाखाओं के जरिये पूर्ण मुद्रा परिवर्तकों का कारोबार करने के इच्छुक व्यक्तियों द्वारा रखी जाने वाली स्वाधिकृत निवल निधियां 50 लाख रुपये से कम की नहीं होंगी ।

अनुबंध-III

09 मार्च 2009 के ए पी(डीआईआर सिरीज़)परिपत्र सं.57 का अनुबंध

(उपर्युक्त पैराग्राफ (अ)(3)(iii))

संपूर्ण मुद्रा परिवर्तन निदेशकों /गैर-बैंक प्राधिकृत व्यापारी
श्रेणी-II के लिए "उपयुक्त और योग्य व्यक्ति " मानदंड

(क) निदेशक नियुक्त करने/निदेशक के पद पर बने रहने की उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक/गैर-बैंक के प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II के बोर्ड को एक ऐसी वांछनीय प्रक्रिया शुरू करनी चाहिये,जो कि शैक्षिक योग्यता,विशेषज्ञता,पिछला कार्य-निष्पादन रिकार्ड,ईमानदारी और "उपयुक्त और योग्य व्यक्ति " मानदंड पर आधारित हो। ईमानदारी और उपयुक्तता निर्धारण के लिए ,आपराधिक रिकॉर्ड, वित्तीय हैसियत,व्यक्तिगत कर्जे की वसूली के लिए प्रारंभ की गई कोई सिविल कार्रवाई,किसी व्यावसायिक निकाय में प्रवेश अथवा उससे निष्कासन, किसी नियंत्रक अथवा ऐसी ही किसी निकाय द्वारा लगाया गया प्रतिबंध और पहले का कोई आपत्तिजनक कारोबारी चलन आदि पर विचार करना चाहिये । निदेशक मंडल को,स्व-घोषणा,बाजार-रिपोर्टों का सत्यापन आदि जानकारी मंगाकर "उपयुक्त और योग्य व्यक्ति " की हैसियत का निर्धारण करना चाहिए । संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों /गैर-बैंक श्रेणी-II-प्राधिकृत व्यापारियों को, प्रस्तावित /मौजूदा के निदेशकों से इस प्रयोजन हेतु आवश्यक जानकारी इसके अंत में दिये गये फॉर्मेट में प्राप्त कर लेना चाहिये ।

(ख) नियुक्ति/नियुक्ति के नवीनीकरण के समय संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों /गैर-बैंक श्रेणी-II-प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा एक ऐसी वांछनीय प्रक्रिया शुरू कर लेनी चाहिये ।

(ग) घोषणाओं की छानबीन करने के लिए, पूर्ण मुद्रा परिवर्तकों /गैर-बैंक श्रेणी-II-प्राधिकृत व्यापारियों के संचालक मंडलों को नामांकन समितियां गठित कर लेनी चाहिये ।

(घ) नामांकन समितियों को हस्ताक्षरित घोषणा में दी गई जानकारी के आधार पर उनकी स्वीकार्यता अथवा अन्यथा निश्चित करनी चाहिये और जहाँ जरूरी हो , निर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्राधिकरण से संपर्क करें ।

(ङ) संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों /गैर-बैंक श्रेणी-II-प्राधिकृत व्यापारियों को चाहिए कि वे वार्षिक आधार पर 31 मार्च को इस आशय की एक साधारण घोषणा प्राप्त कर लें कि पूर्व में उपलब्ध करवायी गई जानकारी में कोई परिवर्तन नहीं है और जहाँ कोई परिवर्तन हैं, निदेशकों द्वारा अपेक्षित ब्योरे तत्काल प्रस्तुत किये जाते है ।

(च) इसके अतिरिक्त,अभ्यर्थी की आयु 70 वर्ष से अधिक न होनी चाहिए और न ही उसे संसद सदस्य/विधान सभा सदस्य/विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए ।

(छ) वर्ष के दौरान निदेशकों में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के विदेशी मुद्रा विभाग को सूचित किया जाये।

(ज) किसी आवेदक, जिसके/जिनके मूल संगठन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लाइसेंस दिया गया हो/प्राधिकृत हो, के कार्यकलापों पर भारतीय रिजर्व बैंक संबंधित विभागों से अभिमत प्राप्त किये जायेंगे।

प्रोफॉर्मा

नये निदेशकों /संपूर्ण मुद्रा परिवर्तन निदेशकों/गैर बैंक श्रेणी-II-प्राधिकृत व्यापारियों के संबंध में जानकारी

1. नाम
2. पूरा पता
3. राष्ट्रीयता
4. आयु
5. कार्य-स्थल का पता
6. आवासीय पता
7. शैक्षिक/व्यावसायिक अर्हताएं

8. व्यवसाय की व्यवस्था

9. अन्य कंपनियों के नाम जिनमें यह व्यक्ति ने अध्यक्ष/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक /मुख्य कार्यपालक के पद पर रहा है

10. (i) क्या प्रायोजक , अध्यक्ष/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा किसी संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक / प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II (ए.डी.कैट-II)के में निदेशक के पद पर रह चुका है ?

(ii) यदि हाँ,तो उस कंपनी का / कंपनियों के नाम

11. (i) क्या किसी आर्थिक अपराध में व्यक्तिगत रूप में/ अथवा साझेदार के तौर पर/किसी कंपनी/फर्म में निदेशक के रूप में कोई अभियोजन चला/सजा हुई है ?

(ii)यदि हाँ,तो उसके ब्योरे

12. मुद्रा परिवर्तक कार्य का अनुभव(वर्षों मे)

13. कंपनी में इक्विटी शेयरधारिता
शेयरों की संख्या
अंकित मूल्य
कंपनी की पूंजी में इक्विटी शेयरों का प्रतिशत

हस्ताक्षर : नाम :
दिनांक : पदनाम :
स्थान (मुख्य कार्यपालक अधिकारी)
: कंपनी :

अनुबंध-IV

09 मार्च 2009 के ए पी(डीआईआर सिरीज़)परिपत्र सं.57 का अनुबंध
फॉर्म आरएमसी-एफ
(उपर्युक्त पैराग्राफ (इ)(4))

1.	प्राधिकृत व्यापारी/संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक का नाम	
2.	फ्रेंचाइजीज का नाम और पता	
	(i)	
	(ii)	
	(iii)	
	आदि	

3.	फ्रेंचाइजीज का मौजूदा व्यवसाय का कार्यकलाप	
4.	निवल स्वाधिकृत निधियां	
5.	फ्रेंचाइजीज के पक्ष में दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम /लागू किसी अन्य नगरपालिका का प्रमाणीकरण	
6.	स्थानीय पुलिस द्वारा जारी फ्रेंचाइजीज का आचरण प्रमाणपत्र	
7.	यदि, फ्रेंचाइजीज/अथवा उसके किसी निदेशक/साझेदार के विरुध्द किसी कानून व्यवस्था प्रवर्तन एजेंसी द्वारा कोई आपराधिक मुकदमा चल रहा हो/ लंबित हो, के संबंध में घोषणा ।	
8.	फ्रेंचाइजीज और उसके निदेशकों/साझेदारों के पैन (पीएएन) नंबर	
9.	विदेशी मुद्रा अभ्यर्पित करने की मौजूदा व्यवस्था	
10.	" धन-शोधन निवारण संबंधी दिशा-निर्देश"(एएमएल),लेखापरीक्षा और निरीक्षण व्यवस्था	

हम घोषणा करते हैं कि फ्रेंचाइजीज का चुनाव करते समय पर्याप्त सावधानी बरती गई है और इन संस्थाओं ने आस्वासन दिया है कि वे मुद्रा परिवर्तन संबंधी फ्रेंचाइजीज करार/भारतीय रिजर्व बैंक के विनियमों के सभी प्रावधानों का भारतीय रिजर्व बैंक के प्रचलित दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे ।

स्थान:

दिनांक: प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

अनुबंध-V

09 मार्च 2009 के ए पी(डीआईआर सिरीज़)परिपत्र सं.57 का अनुबंध

एफएलएम-1

(उपर्युक्त पैराग्राफ (उ)(14)(i)(क)

दैनिक सारांश और शेष बही

(फॉरेन करेंसी/सिक्के)

दिनांक:---

		पाउंड स्टर्लिंग	अमरीकी डॉलर	यूरो	येन	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें
I	अथ शेष					

II.	**जोड़ें : खरीद** (i) पब्लिक से खरीद (iii) प्राधिकृत व्यापारियों, मुद्रा परिवर्तकों और फ्रेंचाइजीज से खरीद (iii) स्टॉक की पुन:पूर्ति के लिए विदेश से आयात **कुल खरीद** कुल (**I+ II**)					
III	**घटाएं बिक्री** (i) पब्लिक को बिक्री (iii) प्राधिकृत व्यापारियों और पूर्ण मुद्रा परिवर्तकों को बिक्री (iii) वसूली के लिए विदेश को प्रेषण **कुल बिक्री**					
IV	**इति शेष** (**I+ II+ III**)					

टिप्पणी : जहाँ जाली नोट आदि पकड़े जाते हैं वहाँ इति शेष को राशि और कारण निर्दिष्ट करते हुए समायोजित किया जाये ।

दिनांक: -----------------   नाम:---------------------

पदनाम:-------------------------

अनुबंध-VI

09 मार्च 2009 के ए पी(डीआईआर सिरीज़)परिपत्र सं.57 का अनुबंध

एफएलएम-2

(उपर्युक्त पैराग्राफ (उ)(14)(i)(ख)

दैनिक सारांश और शेष बही

(यात्री चेक्स)

दिनांक:---

		पाउंड स्टर्लिंग	अमरीकी डॉलर	यूरो	येन	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)
I II.	**अथ शेष** **जोड़ें : खरीद**					
	(i) पब्लिक से खरीद (iii) अन्य से खरीद (प्राप्त नये स्टॉक सहित)					

	कुल (I+ II)					
III	घटाएं : (1) पब्लिक को बिक्री (2) प्राधिकृत व्यापारियों और संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों को अभ्यर्पित (3) निर्यातकों को					
IV	इति शेष (I+ II+ III)					

बेचे गये प्री-पेड कार्ड्स नंबर राशि

दिनांक: नाम:---------------------

पदनाम:--------------------------

टिप्पणी : बेसिक ट्रेवेल कोटा अथवा व्यवसाय के लिए विदेश यात्रा हेतु यात्रियों को ,प्राधिकृत व्यापारियों /यात्री चेक जारी कर्ताओं /अन्य एजेंसियों द्वारा बेचे गये सादे यात्री चेकों /विभिन्न मूल्यवर्गों के स्मार्ट कार्डों का स्टॉक रजिस्टर बनाया जाये तथा दैनिक आधार पर उसका मिलान किया जाये ।

अनुबंध-**VII**

09 मार्च 2009 के ए पी(डीआईआर सिरीज़)परिपत्र सं.57 का अनुबंध

एफएलएम-3

(उपर्युक्त पैराग्राफ (3)(14)(**i**)(ग)

जनता से फॉरेन करेंसीज की खरीदों का रजिस्टर

दिनांक	क्रमांक	प्रस्तुतकर्ता का नाम	राष्ट्रीयता और पूरा पता	पहचान के लिए प्रतुत किये गये दस्तावेजों के ब्योरे	पाउंड स्टर्लिंग	अमरीकी डॉलर	यूरो
1	2	3	4	5	6	7	8

जापानी येन	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	दर	समतुल्य रुपया	नकदीकरण प्रमाणपत्र का नंबर तथा तारीख	टिप्पणी
9	10	11	12	13	14

1. **टिप्पणी:** (1) यदि कोई मुद्रा परिवर्तक बहुत सी करेंसियों का कारोबार करता हो तो ,वह अपनी सुविधा के अनुसार,दो से अधिक करेंसीवार- रजिस्टर बनाये ।

(2) यदि यात्री चेक खरीदे जाते हैं तो राशि के कॉलम में प्रीफिक्स -"टीसी " निर्दिष्ट किया जाये ।

(3) यदि एक ही क्रेता से एक से अधिक मुद्रा की खरीद की जाती है तो अलग-अलग प्रविष्टियां की जाएं ।

दिनांक: -------------------------- नाम:-----------

पदनाम:-------------------------

अनुबंध-**VIII**

09 मार्च 2009 के ए पी(डीआईआर सिरीज़)परिपत्र सं.57 का अनुबंध

एफएलएम-4

(उपर्युक्त पैराग्राफ (उ)(14)(**i**)(घ)

प्राधिकृत व्यापारियों और प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों से फॉरेन करेंसी नोटों/सिक्कों की खरीदों का रजिस्टर

दिनांक	क्रमांक	प्राधिकृत व्यापारी/ प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक का नाम जिससे खरीद की गई	करेंसी	राशि	दर	समतुल्य रुपया	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8

दिनांक: ---------------- नाम:------------------

पदनाम:--------------------------

अनुबंध-**IX**

09 मार्च 2009 के ए पी(डीआईआर सिरीज़)परिपत्र सं.57 का अनुबंध

एफएलएम-5

(उपर्युक्त पैराग्राफ (उ)(14)(i)(ङ)

जनता को फॉरेन करेंसी की बिक्री का रजिस्टर

दिनांक	क्रमांक	प्रस्तुतकर्ता का नाम	राष्ट्रीयता और पूरा पता	प्रायोजक संगठन का नाम	पहचान के लिए प्रतुत किये गये दस्तावेजों के ब्योरे	दौरा वाले देशों के	दौरा का प्रयोजन	विदेश में रहने की अवधि(दिनों की संख्या)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

फॉरेन करेंसी नोट/सिक्के/यात्री चेकों /प्री-पेड कार्डों का ब्योरे			दर	समतुल्य रुपया	कमीशन , यदि कोई लिया गया हो	प्राप्त कुल राशि		कैश मेमो नंबरतथा तारीख	टिप्पणी
करेंसी का नाम	नोटों/ सिक्कों की राशि	यात्री चेकों /कार्डों की राशि				नकद	चेक से		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

टिप्पणी: (1) यदि कोई मुद्रा परिवर्तक बहुत सी करेंसियों का कारोबार करता हो तो ,वह अपनी सुविधा के अनुसार,दो से अधिक करेंसीवार- रजिस्टर बनाये ।

(2) यदि एक से अधिक करेंसियों की बिक्री की जाती है तो उनकी अलग अलग प्रविष्टियां की जायें।

(3) यदि व्यावसायिक प्रयोजन से विदेशी मुद्रा जारी की जाती है तो कॉलम 6 तथा 9 भरे जायें।

दिनांक: --------------------------- नाम:-----------

पदनाम:--------------------------

अनुबंध-**X**

09 मार्च 2009 के ए पी(डीआईआर सिरीज़)परिपत्र सं.57 का अनुबंध

एफएलएम-6

(उपर्युक्त पैराग्राफ (उ)(14)(**i**)(च)

प्राधिकृत व्यापारी/ संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक/विदेशी बैंकों को फॉरेन करेंसी बिक्री का रजिस्टर

दिनांक	क्रमांक	प्राधिकृत व्यापारी/ संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक/विदेशी बैंक का नाम व पता जिसको बिक्री की गई	करेंसी	राशि	दर	समतुल्य रुपया	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8

(4) टिप्पणी: निधियां परिसर से बाहर ले जाने से पहले ही रजिस्टर में अपेक्षित प्रविष्टियां की जायें , न कि निधियों की सुपुर्दगी के बाद ।

दिनांक: ---------------- नाम:-----------

पदनाम:---------

अनुबंध-**XI**

09 मार्च 2009 के ए पी(डीआईआर सिरीज़)परिपत्र सं.57 का अनुबंध

एफएलएम-7

(उपर्युक्त पैराग्राफ (उ)(14)(**i**)(छ)

प्राधिकृत व्यापारी/ प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक/निर्यातकों को समर्पित यात्री चेकों का रजिस्टर

दिनांक	क्रमांक	प्राधिकृत व्यापारी/ प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक/यात्री चेक जारीकर्ता /प्राधिकृत एजेंट का नाम व पता जिसको बिक्री की गई	यात्री चेकों की संख्या	राशि	दर	समतुल्य रुपया	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8

दिनांक:

नाम:-----------

पदनाम:---------

अनुबंध-**XII**

09 मार्च 2009 के ए पी(डीआईआर सिरीज़)परिपत्र सं.57 का अनुबंध

एफएलएम-8

(पूर्ण मुद्रा परिवर्तकों के लिए)

उपर्युक्त पैराग्राफ (उ)(15)(**i**)(ज)

माह-----------------------200 के दौरान फॉरेन करेंसी नोटों के क्रय और बिक्रय का सारांश विवरण

मुद्रा परिवर्तक का नाम व पता -------------------------------आरबीआई लाइसेस नंबर ----------------

	अमरीकी डॉलर	जीबीपी	यूरो	येन	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें
अ आदि शेष निम्नलिखित से फॉरेन करेंसी नोटों की खरीद (क) पब्लिक से (ख) प्रतिबंधित मुद्रा परिवर्तकों /संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों / निर्यात सहित प्राधिकृत व्यापारी (ग) एजेंट और फ्रेंचाइजीज कुल खरीद (क) + (ख) +(ग) आ निम्नलिखित को फॉरेन करेंसी नोटों की बिक्री (क) व्यवसाय यात्रा कोटा (ख)व्यावसायिक दौरा (ग) निर्यातों सहित संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक / प्राधिकृत व्यापारी इ कुल बिक्री (क) + (ख) +(ग) इति शेष (अ+ आ+इ)					

हम एतत द्वारा प्रमाणित करते हैं कि विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनियमों के अनुसार माह के दौरान किये गये सभी लेनदेनों का लेखा विवरण सत्य और सही है ।

स्थान: प्राधिकृत
अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक:--------------- **मुहर** नाम:-------------------

पदनाम:----
----

09 मार्च 2009 के ए पी(डीआईआर सिरीज़)परिपत्र सं.57 का अनुबंध

एफएलएम-8

(प्राधिकृत व्यापारी बैंक-II के लिए)

(उपर्युक्त पैराग्राफ (उ)(15)(i)(ज)

माह-----------------------200 के दौरान फॉरेन करेंसी नोटों के क्रय और बिक्रय का सारांश विवरण

प्राधिकृत व्यापारी बैंक-II का नाम व पता -------------------------------आरबीआई लाइसेस नंबर -------- ---------

	अमरीकी डॉलर	जीबीपी	यूरो	येन	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें
अ आदि शेष निम्नलिखित से फॉरेन करेंसी नोटों की खरीद (क) पब्लिक से (ख) प्रतिबंधित मुद्रा परिवर्तकों /संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों / आयातों सहित प्राधिकृत व्यापारी (ग) एजेंट और फ्रेंचाइजीज आ कुल खरीद (क) + (ख) +(ग) निम्नलिखित को फॉरेन करेंसी नोटों की बिक्री(प्रयोजन कूट सं. के साथ) (क) (i) व्यवसाय यात्रा कोटा /(ii)निजी यात्रा (एस0302) (ख) (i) व्यावसायिक दौरा /(ii) व्यावसायिक यात्रा (एस0301) (ग) टूर ऑपरेटरों/ट्रवल एजेंटों द्वारा समुद्रपारीय एजेंटों/मुख्यों /होटलों को धनप्रषण -(एस0306) (घ) फिल्म शूटिंग्ज(एस1101) (ङ)विदेश में किये गये चिकित्सा इलाज(एस0304) (च) कर्मियों की मजदूरी का वितरण (एस1401) (छ) समुद्रपारीय शिक्षा (एस0305)					

(ज)(i)वैश्विक सम्मेलनों और विशेषीकृत प्रशिक्षण में सहभागिता के लिए शुल्क /(ii)अंतरराष्ट्रीय घटनाओं /प्रतियोगिताओं (प्रशिक्षण, प्रायोजकता और प्राइज मनी के लिए)में सहभागिता के लिए धनप्रेषण/ (iii) विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ शैक्षिक गठजोड़ व्यवस्थाओं के तहत लिए धनप्रेषण/(iv) भारत और विदेश में आयोजित परीक्षाओं और जीआरई, टोफेल, आदि के लिए अतिरिक्त अंक पत्रक के शुल्क के संबंध में धनप्रेषण/(v)विदेश में नौकरी के आवेदन पत्रों के लिए नियोजन और प्रसंस्करण,मूल्यांकन शुल्क / (vi) प्रवास करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए प्रवीणता/ विश्वसनीयता मूल्यांकन शुल्क/(vii)विज़ा शुल्क/ (viii)पोर्तुगीज/अन्य सरकारों द्वारा यथा अपेक्षित दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए प्रसंस्करण शुल्क/ (ix) अंतरराष्ट्रीय संगठनों को पंजीकरण /अभिदान/ सदस्यता शुल्क (एस1102) (झ) उत्प्रवास शुल्क (एस1202) (ञ)उत्प्रवास परामर्श शुल्क (एस1006) (त) निर्यातों सहित अन्य संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक / प्राधिकृत व्यापारियों को बिक्री **इ . कुल बिक्री** (क) + (ख) +(ग)+(घ) +(ङ)+ (च) +(छ+(ज)+(झ)+(ञ)+(क) **इति शेष (अ+ आ - इ)**					

हम एतत द्वारा प्रमाणित करते हैं कि विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनियमों के अनुसार माह के दौरान किये गये सभी लेनदेनों का लेखा विवरण सत्य और सही है ।

स्थान: प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक: मुहर नाम:---------------------------------------

पदनाम:--------------------------

अनुबंध-XIII

09 मार्च 2009 के ए पी(डीआईआर सिरीज़)परिपत्र सं.57 का अनुबंध

आरएलएम 3

(उपर्युक्त पैरा (उ)(15)(ii)

--------को समाप्त तिमाही के दौरान प्राधिकृत व्यापारियों /संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों को सुपुर्द की गयी विदेशी मुद्रा का विवरण

प्रतिबंधित मुद्रा परिवर्तक का नाम और पता ----------

भारतीय रिज़र्व बैंक लाइसेंस सं.--------

विदेशी मुद्रा का नाम	तिमाही के प्रारंभ में अथ शेष	खरीदी गयी विदेशी मुद्रा	समतुल्य रुपया	विदेशी मुद्रा में प्राधिकृत व्यापारियों /संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों को सुपुर्द की गयी	तिमाही के अंत में विदेशी मुद्रा में इति शेष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पाउंड स्टर्लिंग	सी/टएन टी/सी				
अमरीकी डॉलर	सी/टएन टी/सी				
युरो	सी/टएन टी/सी				
येन	सी/टएन टी/सी				
अन्य (कृपया स्पष्ट करें)	सी/टएन टी/सी				

मैं प्रमाणित करता हूँ /हम प्रमाणित करते हैं कि

(क) तिमाही के दौरान ग्राहकों के साथ किये गये सभी खरीद लेनदेनों और प्राधिकृत व्यापारियों / संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों को सुपुर्द किये गये लेखा विवरण ।

(ख) उपर्युक्त सभी लेनदेन प्रचलित विदेशी मुद्रा विनियमावली के अनुसार किये गये हैं ; और

(ग) जनता से सभी खरीदों (जहां लागू हो) के संबंध में नकदीकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया है ।

अनुलग्नक मुहर

(प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

स्थान:

नाम:------

पदनाम :---

प्राधिकृत व्यापारी/संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक के प्रति हस्ताक्षर

टिप्पणी :-निविदाकारों से प्राप्त पूर्णत: उपयोग किय गये सीडीएफ विवरण के साथ संलग्न किये जाने चाहिए ।

अनुबंध-XIV

09 मार्च 2009 के ए पी(डीआईआर सिरीज़)परिपत्र सं.57 का अनुबंध

(उपर्युक्त पैराग्राफ (उ)(15)(iii))

माह----------------------200 के दौरान 10,000 अथवा उससे अधिक अमरीकी डॉलर की खरीद लेन-देनों का विवरण

लेन-देनों की तारीख	फॉरेन करेंसी अभ्यर्पित करने वाले व्यक्ति का नाम व पता	राशि करेंसी/यात्री चेक

प्राधिकृत अधिकारी के मुहर सहित हस्ताक्षर

अनुबंध-XV

09 मार्च 2009 के ए पी(डीआईआर सिरीज़)परिपत्र सं.57 का अनुबंध

(उपर्युक्त पैराग्राफ (उ)(15)(iV))

--200 को समाप्त तिमाही के दौरान निर्यात से हुई आय से फॉरेन करेंसी नोटों/नकदीकरण किये गये यात्री चेकों के लिए भारत में खोले गये विदेशी मुद्रा खातों का संकलन दर्शाने वाला विवरण

खाते	फॉरेन करेंसी	फॉरेन	फॉरेन	जिस संगठन को	तिमाही के	फॉरेन	टिप्पणी

में आदि शेष	नोट/निर्यातित नकदीकरण किये गये यात्री चेक	करेंसी में वसूल की गई राशि	करेंसी खाते के कॉलम 3 में जमा की गई की राशि	यात्री चेक बेचे गये उसके द्वारा जारीकर्ता संगठन को विप्रेषित राशि/प्राधिकृत व्यापारियों से फॉरेन करेंसी खरीदने के कारण खाते को ड़ेविट किया गया	दौरान फॉरेन करेंसी खाते में रही अधिकतम शेष राशि	करेंसी खाते का इति शेष	
1	2	3	4	5	6	7	8

प्रमाणित किया जाता है कि हमारे अभिलेखों के अनुसार ब्योरे सही हैं ।

प्राधिकृत व्यापारी का नाम और पता -----------------------------

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I के अधिकृत अधिकारी के मुहर सहित हस्ताक्षर

अनुबंध-XVI

09 मार्च 2009 के ए पी(डीआईआर सिरीज़)परिपत्र सं.57 का अनुबंध

(उपर्युक्त पैराग्राफ (उ)(15)(V))

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II/संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक का नाम -------------------------------
---------------------------200 को समाप्त वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाली गई फॉरेन करेंसी की राशि का विवरण

अ. बट्टे खाते डाली गई कुल राशि(अमरीकी डॉलर के समतुल्य):-

आ. बट्टे खाते डाली गई कुल राशि के ब्योरे :-

क्रमांक	बट्टे खाते डालने की तारीख	फॉरेन करेंसी की राशि(हर करेंसी का अलग अलग ब्योरा)	बट्टे खाते डालने का कारण *	पूर्ण मुद्रा परिवर्तक/ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II/ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित
1	2	3	4	5

* कृपया निर्दिष्ट करें कि क्या जाली पाये जाने/चोरी हो जाने/ मार्ग में खो जाने के कारण बट्टे खाते डाला गया है ।

अधिकृत अधिकारी के मुहर सहित हस्ताक्षर